भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
सीप्ज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI – 400 096.
टेली/Tel: 022-28294770 फैक्स/Fax: 28291754,
ई-मेल/E-mail : ddcseepz-mah@nic.in, Web-site : www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

निविदा आमंत्रण सूचना

विषयः सीप्ज़ सेज़ प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए फॉर्मेट तथा डाटा के आधार पर गेट पास (पीवीसी कार्ड) की पूर्ति तथा प्रिंटिंग ।

सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण प्रिंटरों तथा जनशक्ति सहित प्रिंटेड पीवीसी कार्डों की पूर्ति गेट पास की प्रिंटिंग के लिए प्रतिष्ठित, अनुभवी तथा वित्तीय दृष्टि से सक्षम एजेन्सियों से तीन महीनों (जो बढ़ाई भी जा सकती है) के लिए मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है ।

1.कोटेशन प्रस्तुत करने की क्रियाविधि के संबंध में:

i. निविदा दो बोली प्रणाली में निम्नानुसार दो अलग-अलग लिफाफों में प्रस्तुत किए जाएं अर्थात तकनीकी बोली तथा वित्तीय बोली ।

लिफाफा -I जिसके ऊपर **"तकनीकी बोली"** लिखा गया हो, में उपपैरा 3 में यथाउल्लिखित तकनीकी पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेज रखे जाएं ।

लिफाफा-II जिसके ऊपर **"वित्तीय बोली"** लिखा गया हो, में उपपैरा 4 में यथाउल्लिखित बोली मूल्य रखा जाए ।

ii. ये दोनों मुहरबंद लिफाफे एक साथ एक बड़े लिफाफे में प्रस्तुत किए जाएं जिस पर लिखा हों, **"वर्ष 2019-20 के लिए प्रिंटिंग गेट पास तथा प्रिंटिंग कार्ड के आपूर्ति के सीप्ज़ – सेज़ से निविदा" । यह लिफाफा संपदा प्रबंधक, सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण, सीप्ज़-सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096** को संबोधित किया जाए ।

iii. उपर्युक्त उल्लिखित मुहरबंद लिफाफा इस कार्यालय में **दिनांक 28.02.2019 को अपराह्न 2.30 बजे** तक डाक/कुरियर द्वारा अथवा स्वयं आवेदक द्वारा अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया जाएगा अथवा यह भूमितल पर स्थित आवक अनुभाग के निकट रखे लेटर बॉक्स में डाला जा सकता है ।

iv. इच्छुक बोलीदाता इस कार्यालय द्वारा वर्तमान में प्रयुक्त किए जा रहे पीवीसी कार्डों की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे । इस प्रयोजन के लिए वे सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे के बीच किसी भी कार्य दिवस को सहायक सुरक्षा अधिकारी से गेट पास / कर्मचारी पहचान-पत्र (पीवीसी कार्ड) का नमूना प्राप्त कर सकते हैं ।

v. पीवीसी कार्डों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का अंतर पाए जाने पर बोली अस्वीकृत की जा सकती है तथा इस संबंध में, आगे कोई पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा ।

vi. निविदा जो विलंब से प्राप्त किए जाएंगे अथवा जो मुहरबंद नहीं होंगे अथवा जिनके ऊपर लिखा हुआ नहीं रहेगा, वे अस्वीकृत किए जा सकते हैं ।

vii. निविदा पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाएं तथा इन पर कंपनी/फर्म की सील लगाई जाए तथा जो मुद्रित फॉर्म में पूर्ण हों ।

viii. निविदा के संबंध में किए जाने वाले प्रत्येक सुधार / विलोप / परिवर्धन / लिप्त लेखन / चिपकाई गई पर्ची पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किया जाए ।

ix. अपूर्ण, अस्पष्ट तथा सशर्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

x. बोलीदाता को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/हस्ताक्षरकर्ताओं के प्राधिकार का प्रमाणपत्र (जोकि व्यक्ति / कंपनी / पार्टनरशिप फर्म के संघ के रूप में लागू हो) प्रस्तुत करना होगा।

xi. यदि निविदा किसी फर्म द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो इस पर प्रत्येक पार्टनर द्वारा अलग -अलग अवश्य हस्ताक्षर किया जाए अथवा किसी पार्टनर की अनुपस्थिति में, उनकी ओर से इस पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किए जाने का मुख्तारनामा रखने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

xii. बोलीदाता शब्दों में तथा अंकों में उल्लिखित दरों का उल्लेख करेंगे । यदि शब्दों में कोट की गई दरें, अंकों में कोट की गई दरों से भिन्न हों, तो इन दोनों में से जो भी दर अधिक होगी, वही दर सही मानी जाएगी।

xiii. कोटेशन की दर के साथ बयाना जमा राशि (ईएमडी) के रूप में 1,00,000/- रू. (एक लाख रूपए मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर जो कि **"सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण निधि" मुंबई** के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक पर आहरित हो, देना होगा । नकद भुगतान, चेक तथा भुगतान का अन्य कोई तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

xiv. बोलीदाता निविदा खोले जाने के समय स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर सकते है ।

xv. समिति यदि चाहे तो, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बोलीदाता की पात्रता निर्धारित करने वाले किसी शर्त अथवा अन्य शर्तों को शिथिल कर सकती है, उसमें / उनमें संशोधन कर सकती है । बोली प्रस्तुत करने के पश्चात इस संबंध में कोई पूछताछ नहीं की जा सकती है ।

xvi. चयन के पूर्व कंपनियों/फर्मों की तकनीकी सक्षमता / संरचनात्मक सुविधाएं अभिनिश्चित की जाएंगी।

xvii. बयाना राशि (ईएमएडी) तथा संलग्नक "क" तथा "ख" में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के बिना प्रस्तुत की जाने वाली बोलियां सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएंगी ।

xviii. सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी समय तथा किसी भी अवस्था में कोई अथवा सभी निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है तथा इस संबंध में सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण का निर्णय बोलीदाता के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी होगा ।

xix. बोली वापस लिए जाने की स्थिति में ईएमडी जब्त कर लिया जाएगी ।

2. <u>निविदा का खोला जाना ।</u>

i. लिफाफा I जिसके ऊपर लिखा गया हो, **"तकनीकी बोली" दिनांक 28.02.2019 को अपराह्न 04.00 बजे,** विकास आयुक्त कार्यालय, दूसरा तल, सीप्ज़-सेज़, मुंबई में बोलीदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जो निविदा समिति तथा इसके लिए प्राधिकृत अन्य अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होना चाहे, खोला जाएगा ।

ii. लिफाफा-**II** जिसके ऊपर **"वित्तीय बोली"** लिखा गया हो, के खोले जाने की तारीख तथा समय की सूचना लिफाफा-**I** के खोले जाने के समय सफल बोलीदाता को दी जाएगी।

iii. समिति द्वारा "तकनीकी पात्रता" के लिए उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर सभी बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा । दस्तावेजों की जांच किए जाने के पश्चात समिति "वित्तीय बोली" खोलने के लिए पात्र बोलीदाताओं का चयन करेगी ।

3. <u>तकनीकी बोली के आधार पर पूर्व अर्हता का मानदंडः</u>

लिफाफा 1 जिसके ऊपर लिखा गया हो **"तकनीकी बोली"** में निम्नलिखित दस्तावेज़ रखे जाएं ताकि इनके आधार पर नामिकायन के लिए तकनीकी पात्रता का निर्धारण किया जा सके ।

i. **"सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण निधि"**, मुंबई के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित

बैंक पर आहरित डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में 1,00,000/- (एक लाख रूपए मात्र) की बयाना जमा राशि (ईएमडी) ।

ii. पैन, जीएसटी संख्या की प्रतिलिपियां संलग्न की जाएं ।

iii. कार्यक्षेत्र के अनुसार कार्डों के नमूने जोकि गेट पास की प्रिंटिंग के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे ।

iv. फर्म (र्मो) / एजेन्सी द्वारा इस आशय का विधिवत हस्ताक्षरित स्वीकृति-पत्र संलग्न किया जाए जिसमें निविदा दस्तावेज़ों के निबंधन तथा शर्तों के समझे जाने तथा स्वीकार किए जाने की पुष्टि की गई हो ।

v. इस आशय का नोटरीकृत शपथ-पत्र जिसमें यह घोषणा की गई हो कि किसी भी सरकारी / अर्धसरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कार्यालय द्वारा उन्हें न तो काली सूची में डाला गया है और न ही उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है ।

vi. इस आशय का वचनबंध कि बोलीदाता सेवा का निष्पादन अथवा सेवा का कोई हिस्सा न तो किसी को सौंपेगा, न हस्तांतरित करेगा, न गिरवी रखेगा और न ही उप – ठेक पर देगा । वह आगे इसके लिए वचन-बंध प्रस्तुत करेगा कि वह निविदा दस्तावेज़ों के निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन करेगा ।

vii. बोलीदाता की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए । इस संबंध में, बोलीदाता को विधिवत नोटरीकृत 100/- रू. के स्टांप पेपर पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

viii. महाराष्ट्र में स्थित केंद्रीय सरकार / केंद्रीय सरकार के उपक्रमों / महाराष्ट्र सरकार / स्वायत्त निकायों / औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्राइवेट फर्मों / बैंकों द्वारा प्रदान की गई संविदाओं के प्रमाण के रूप में कार्यादेश की प्रतिलिपि ।

ix. बोलीदाता का मुंबई में व्यापार का मुख्य स्थान हो । इसके समर्थन में निगमन प्रमाणपत्र, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र तथा दुकान तथा अधिष्ठान लाइसेन्स / परिसर अधिभोग करने संबंधी करार, बिजली बिल तथा टेलीफोन बिल आदि में से कोई दस्तावेज़ी प्रमाणपत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाए ।

4. वित्तीय बोली का मानदंड:

i. लिफाफा II जिसके ऊपर "वित्तीय बोली" लिखा गया हो, में आइजीएसटी सहित बोली मूल्य शामिल किया जाए । कृपया संलग्नक "ख" देखें ।

(राजू कुमार)
सहायक विकास आयुक्त,
सीप्ज़-सेज़

सं.सीप्ज़-सेज़/ईएमएस/जीसी/05/2015-16/ईडीआइ-वॉल्यू-I/03060 **दिनांकः 7 /02/2019**

कार्य का क्षेत्र

1. निम्नलिखित विशिष्टियों के साथ पीवीसी कार्डों पर गेट पासों की मौके पर पूर्ति एवं प्रिंटिंगः-

क्रमांक	मद	मात्रा	आकार	रंग
1	कर्मचारी पहचान पत्र	आवश्यकतानुसार	लंबाई 85 एमएम चौड़ाई 54 एमएम मोटाई 30 मिल	सफेद
2	पीवीसी कार्ड पर स्थायी गेट पास	लगभग 2200 (आगे – पीछे) प्रतिमाह (लगभग 88 प्रतिदिन)	लंबाई 85 एमएम चौड़ाई 54 एमएम मोटाई 30 मिल	सफेद

2. सफल बोलीदाता को पर्याप्त मात्रा में पीवीसी कार्डों तथा प्रिंटरों का स्टॉक रखना होगा ।

3. सफल बोलीदाता को निम्नलिखित विशिष्टियों वाला प्रिंटर उपलब्ध कराना होगाः-

   i. रंगीन पहचान पत्रों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला डबल साइडेड कार्ड प्रिंटर ।

   ii. विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल (32 बीट विंडो एक्सपी के लिए ड्राइवर्स आवश्यक) ।

   iii. औसतन 1000 कार्ड प्रतिदिन का प्रिंटआउट ।

4. सफल बोलीदाता को सीप्ज़ – सेज़ प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले डाटा के आधार पर गेट पासों की बिना रूकावट के प्रिंटिंग सुनिश्चित किए जाने के लिए जनशक्ति उपलब्ध करानी होगी ।

5. गेट पासों की प्रिंटिंग का सामान्य समय प्रातः 09.30 बजे से सायं 06.00 बजे तक होगा । तथापि, आवश्यकता पड़ने पर सायं 06.00 बजे के बाद भी उसी दिन गेट पासों की प्रिंटिंग पूरी करनी होगी ।

<u>संलग्नक–क</u>

(I) मुख्य विवरणः

1. एजेन्सी का नामः
2. कार्यालय का पता
3. टेलीफोन नं.
4. मोबाइल नं.
5. फैक्स नं.
6. ई-मेल पताः

(II) <u>पूर्व अर्हता विवरणः</u>

1. पैन तथा पंजीकृत जीएसटी नं. की प्रतिलिपियां **(प्रमाण संलग्न करें)** ।

2. अलग मुहरबंद लिफाफे में "वित्तीय बोली" संलग्न किया गया है **(हां / नहीं)** ।

3. महाराष्ट्र में स्थित केंद्र सरकार / केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / महाराष्ट्र सरकार / महाराष्ट्र सरकार के स्वायत्त निकाय / औद्योगिक क्षेत्र / बैंक / प्रतिष्ठित प्राइवेट फर्म द्वारा जारी कार्यादेशों की प्रतिलिपि(यां) (संलग्न करें) ।

4. फर्म(र्मों)/एजेन्सी द्वारा इस आशय का विधिवत हस्ताक्षरित स्वीकृति-पत्र संलग्न किया जाए जिसमें निविदा दस्तावेज़ों के निबंधन तथा शर्तों के समझे जाने तथा स्वीकार किए जाने की पुष्टि की गई हो ।

5. इस आशय का नोटरीकृत शपथ-पत्र जिसमें यह घोषणा की गई हो कि किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कार्यालय द्वारा उन्हें न तो काली सूची में डाला गया है और न ही उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है (शपथ-पत्र संलग्न करें) ।

6. इस आशय का वचनबंध कि बोलीदाता सेवा कां निष्पादन अथवा सेवा का कोई हिस्सा न तो किसी को सौंपेगा, न हस्तांतरित करेगा, न गिरवी रखेगा और न ही उप – ठेक पर देगा । वह आगे इसके लिए वचन-बंध प्रस्तुत करेगा कि वह निविदा दस्तावेज़ों के निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन करेगा (शपथ-पत्र संलग्न करें) ।

7. बोलीदाता की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए । इस संबंध में, बोलीदाता को विधिवत नोटरीकृत 100/- रू. के स्टांप पेपर पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

8. फर्म मुंबई / बृहनमुंबई जिला में स्थित हो । इस संबंध में, निगमन प्रमाणपत्र, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र तथा दुकान तथा अधिष्ठान लाइसेन्स / परिसर अधिभोग करने संबंधी करार, बिजली बिल, टेलीफोन बिल आदि का दस्तावेज़ी प्रमाण तकनीकी बोली के साथ संलग्न करना होगा ।

9. "सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र **प्राधिकरण निधि**", के पक्ष में मुंबई में देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में 1,00,000/- (एक लाख रूपए मात्र) की बयाना जमा राशि (ईएमडी) (डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करें) ।

10. फर्म / एजेन्सी के जिम्मेदार प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम ।

11. फर्म निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करे ।

मैं / हम एतद्‌द्वारा घोषणा करता हूं / करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा निविदा दस्तावेज़ों के सभी निबंधन एवं शर्तें पढ़ ली गई हैं । मैं / हम निविदा में उल्लिखित सभी निबंधनों / शर्तों को स्वीकार करता हूं / करते हैं तथा मैं / हम इनका कठोरता से अनुपालन करूंगा / करेंगे ।

सील के साथ निविदादाता का
नाम तथा पता एवं हस्ताक्षर

तारीखः

संलग्नक "ख"

प्रिंटेंड पहचान पत्रों की पूर्ति तथा गेट पासों की प्रिंटिंग (पीवीसी कार्ड) की वितीय बोली का फॉर्मेट ।

क्रमांक	मदों के नाम	प्रति कार्ड दर (आइजीएसटी को छोड़कर)
1	सरकारी कर्मचारियों के पहचान पत्र	
2	प्रवेश के लिए गेट पास	

***उद्धृरित दरों में सारे खर्चे शामिल किए जाए ।**

हम वचन देते हैं कि हमारे द्वारा ऊपर उद्धरित की गई दरों में संविदा अवधि के दौरान कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा हम उचित कॉलमों में दर्शाई गई भुगतान अनुसूची को स्वीकार करते है ।

2/25

सील के साथ निविदादाता का नाम तथा पता एवं हस्ताक्षर

तारीख:

<u>अन्य निबंधन तथा शर्तें</u>

1. सफल बोलीदाता सीप्ज़-सेज़ परिसर के अंदर प्रवेश के पहले अपने प्राधिकृत कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करवाना होगा तथा इसे प्राधिकारियों द्वारा जब कभी मांगा जाए, इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा ।

2. सफल बोलीदाता को कार्य-क्षेत्र के अनुसार प्रिंटर, जनशक्ति तथा प्रिंटिंग कार्ड उपलब्ध कराना होगा तथा उसके अनुसार कार्य करना होगा, ऐसा न करने पर इसे संविदा भंग माना जाएगा तथा प्राधिकरण को बिना कोई कारण बताए संविदा को रद्द करने / समाप्त करने का अधिकार होगा तथा जमा बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी । इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

3. सफल बोलीदाता को संविदा अवधि के दौरान प्रिंटिंग कार्डों तथा प्रिंटिंग की गुणता बनाए रखनी होगी । प्रोफॉर्मा के अनुसार प्रिंटिंग की सामग्री साफ तथा पठनीय होगी ।

4. गेट पासों की प्रिंटिंग प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई जगह पर होगी । प्रत्येक दिन प्रिंट किए जाने वाले कार्डों की संख्या गेट पास के प्रभारी द्वारा प्रमाणित की जाएगी ।

5. सफल बोलीदाता तथा उसके कार्मिकों / कामगारों / कर्मचारियों को नियमों, विनियमों तथा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले दिशा – निर्देशों का अनुपालन करना होगा तथा उन्हें कामकाज के घंटों के दौरान अनुशासन बनाए रखना होगा ।

6. सफल बोलीदाता द्वारा नियोजित कार्मिकों / कामगारों / कर्मचारियों को मजदूरी तथा / अथवा अन्य किसी प्रकार की परिलब्धियों के भुगतान के लिए प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा । सफल बोलीदाता अपने कार्मिकों / कामगारों द्वारा किए जाने वाले किसी प्रकार के दावे के विरूद्ध प्राधिकरण को हमेशा क्षतिपूर्ति से मुक्त रखेगा ।

7. प्राधिकरण को सफल बोलीदाता अथवा उसके कार्मिकों/कामगारों/कर्मचारियों की ओर से किसी तकनीकी तथा/अथवा प्रक्रियात्मक चूकों के कारण होने वाली वित्तीय हानि अथवा क्षति की पूर्ति सफल बोलीदाता को करनी होगी ।

8. यदि 3 घंटे से अधिक समय तक गेट पास की पूर्ति का कार्य बाधित होता है, तो 1,000/- रू (एक हजार रूपए) के अर्थदंड के दायी होंगे ।

9. **सफल बोलीदाता को कार्य आदेश प्राप्त करने की तारीख से 3 दिनों के अंदर अपनी स्वीकृति देनी होगी, ऐसा न करने पर जारी किया जाने वाला कार्य आदेश रद्द समझा जाएगा ।**

10. **<u>बिलन</u>:** कार्डों की पूर्ति तथा प्रिंटिंग का कार्य पूरी तरह से निष्पादित किए जाने के पश्चात स्वीकृत बोली की दर से प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया जाएगा ।

11. निविदा हस्तांतरणीय नहीं है । सफल बोलीदाता किसी भी मामले में कोई उप ठेकेदार अथवा अन्य किसी संगठन को नियुक्त नहीं करेगा और न ही उस निविदा सूचना के तहत अपने अधिकारों तथा दायित्वों को हस्तांतरित करने की अनुमति होगी ।

12. कार्य आदेश के सम्यक ढंग से पूर्ण किए जाने हेतु सफल आवेदन का जमा बयाना राशि सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के पास प्रतिभूति जमा के रूप में रहेगा जो इस अवधि के समाप्त होने पर वापस किया जाएगा । निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित निबंधन तथा शर्तों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में यह जब्त कर लिया जाएगा । अन्य बोलीदाता के जमा बयाना राशि वापस कर दिए जाएंगे । इस राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।

13. यदि सफल बोलीदाता की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं, तो प्राधिकरण के पास ठेका अवधि के दौरान बिना कोई कारण बताए कार्य आदेश को समाप्त करने अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है ।

14. कार्य आदेश के समाप्त किए जाने/रद्द किए जाने पर सफल बोलीदाता क्षतिपूर्ति, नुकसान अथवा किसी अन्य रूप में किसी राशि / राशियों के लिए हकदार नहीं होगा।

15. प्रत्येक बोलीदाता अपनी निविदा प्रस्तुत करने के पहले इसके निबंधन तथा शर्तों को ध्यान से पढ़कर समझ लें । बाद में यह उनका यह कहना स्वीकार नहीं किया जाएगा कि उन्होंने शर्तें नहीं पढ़ी थीं / नहीं समझी थी ।

16. निविदादाता मुहरबंद लिफाफे में जिसके ऊपर यह लिखा गया हो **"पहचान पत्रों तथा गेट पासों (पीवीसी कार्डों) की पूर्ति एवं प्रिंटिंग के लिए निविदा"** तथा जो संपदा प्रबंधक, **सीप्ज़-विशेष आर्थिक क्षेत्र, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 को संबोधित हो, अवश्य प्रस्तुत करें** ।

17. निविदाएं भूमितल पर स्थित आवक अनुभाग, सीप्ज़ – सेज़, मुंबई के निकट रखे निविदा पेटी में डाली जाएं । निविदाएं इस कार्यालय में **दिनांक 28.02.2019** तक अथवा इसके पूर्व **अपराह्न 02.30 बजे** तक अवश्य पहुच जाएं अथवा निविदा पेटी में डाली जाएं ।

18. निविदाएं अंग्रेजी / हिंदी में अवश्य लिखी जाएं । बोली से संबंधित अथवा इसके कारण किए जाने वाले सभी पत्राचार अंग्रेजी / हिंदी में होंगे ।

19. एकल आवरण प्रणाली अपनाई जाएगी । बयाना राशि तथा सभी अनिवार्य दस्तावेज़ों के साथ संलग्नक "क" में भरे गए संगत विवरण एक अलग मुहरबंद लिफाफे में रखा जाए जिसके ऊपर यह लिखा हो **"पहचान पत्रों तथा गेट पासों (पीवीसी कार्डों) की पूर्ति एवं प्रिंटिंग के लिए निविदा" । बिना मुहरबंद की गई सामग्रियां स्वीकार नहीं की जाएगी** । संलग्नक "ख" अर्थात वित्तीय बोली एक अलग लिफाफे में रखकर उसे एक अन्य लिफाफे में रखा जाए ।

20. आपवादिक परिस्थितियों में सीप्ज़ – सेज़ प्राधिकरण बोलीदाता से वैधता अवधि के विस्तार के लिए सहमति मांग सकता है । इस संबंध में अनुरोध तथा सहमति लिखित रूप में होगी ।

21. बोलीदाता अपनी निविदा के हिस्से के रूप में 1,00,000/- रू. की बयाना राशि जमा करेगा । यह बयाना राशि डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के रूप में होगी **"सीप्ज़ प्राधिकरण निधि"** के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत तथा अनुसूचित बैंक पर आहरित तथा मुंबई में देय होगी ।

22. निविदा जिसके साथ बयाना राशि (ईएमडी) / वित्तीय बोली तथा संलग्नक "क" तथा "ख" के अनुसार अपेक्षित दस्तावेज संलग्न नहीं होंगे, अस्वीकृत कर दिए जाएंगे । असफल बोलीदाताओं की बयाना राशि (ईएमडी) यथासंभव उन्मोचित अथवा लौटाई जाएगी ।

23. निविदाएं विकास आयुक्त का कार्यालय, दूसरा तल, सीप्ज़ – सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400 096 में दिनांक 28.02.2019 को अपराह्न 04.00 बजे बोलीदाताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सार्वजनिक रूप से खोली जाएंगी ।

24. सीप्ज़ – सेज़ प्राधिकरण ऐसे सफल बोलीदाता को संविदा प्रदान करेगा जिसकी निविदा निर्धारित मानदंडों तथा उद्धरित प्रतिस्पर्धी कीमत के संदर्भ में एजेन्सी की उपयुक्तता के आधार पर निर्धारित की गई हो, बशर्ते कि बोलीदाता संविदा को संतोषजनक ढंग से निष्पादित करने की योग्यता के प्रति तत्पर हो ।

****

भारत सरकार / Government of India,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण / SEEPZ-SEZ Authority,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai – 400 096.
टेलि / Tel.: 022-28294770 फैक्स / Fax: 28291754,
ई-मेल / E-mail: ddcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

NOTICE INVITING TENDER

Sub: Supply and Printing of Gate Passes (PVC Card) on the basis of format and data provided by SEEPZ-SEZ Authority.

The SEEPZ-SEZ Authority invites sealed tenders from reputed, experienced and financially sound agency for supplying the printed PVC Cards and printing of Gate passes along with printers and manpower for a period of One Year. (Extendable)

1. PROCEDURE FOR SUBMISSION OF TENDER:

i. The tender should be submitted in a two bid system in two envelopes i.e. Technical Bid and Financial Bid;
Envelope-I superscribed as **"Technical Bid"** should contain the documents required for technical eligibility, as stated in sub para 3.
Envelope-II suprscribed as **"Financial Bid"** should contain the bid value as stated in sub para 4.

ii. Both sealed envelopes should be submitted together in larger cover super scribed as **"SEEPZ-SEZ TENDER FOR SUPPLY OF PRINTING CARDS AND PRINTING GATE PASSES 2019-20"** on the top and address to **"The Estate Manager, SEEPZ-SEZ Authority, Office of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ, Andheri (E), Mumbai – 400 096.**

iii. The sealed envelope mentioned above will be received by this office upto **2:30 p.m. on 28/02/2019** by post/courier/ by the bidder personally or through their authorized representatives or the same can be dropped in the Letter Box kept on the Ground floor near Inward Section especially for tenders.

iv. The interested bid participants should ensure the quality of the PVC card being used by this office at present. For this purpose, they may collect the samples of Gate Passes / Employees I-Card (PVC Cards) from the Security Officer / Asstt. Security Officer on any working day from Monday to Friday between 10:00 a.m. to 05:00 p.m.

v. Any deviation in the quality of PVC Card shall be laible for rejection of bid and no further communication in this regard would be entertained.

vi. Tenders received late, unsealed and without superscription are liable to be rejected.

vii. The tender shall be duly signed with seal of Company/firm and complete in the printed form.

viii. Every correction/deletion/addition/overwriting/slips pasted shall be signed by bidder;

ix. Incomplete, ambiguous and conditional tenders will not be entertained.

x. The bidder shall submit the certificate of authorization of the Authorized signatory/ies (applicable in case of the associations of person/company/partnership firm).

xi. In the event of the tender being submitted by a firm, it must be signed separately by each partner thereof, or in the event of the absence of any partner, it shall be signed on his behalf by a person holding a power of attorney authorizing him to do so.

xii. The bidder should quote the rates in words and in figures; if the rates quoted in words, differ from the rate quoted in figures, the lower of the two will be taken as correct rate.

xiii. The quotation of rate for the tender should be accompanied by **Earnest Money Deposit (EMD) for Rs. 1.00 lakh (Rupees One lakh only)** in the form of Demand Draft/Pay Order, drawn on any Nationalized or Scheduled bank in favour of **"SEEPZ-SEZ Authority Fund"** payable at **Mumbai.** Cash payment, Cheque and other mode of payment shall not be accepted.

xiv. Bidder may represent themselves personally or through authorized representative, if any, at the time of opening of tender.

xv. The Committee may, if so desire, relax/amend one or other condition for determining the eligibility of the bidder with due approval of the Competent Authority. Any enquiry after submission of the bid shall not be entertained.

xvi. The technical competence/infrastructure facilities of the entities will be ascertained before selection.

xvii. The bid not accompanied by EMD and the required documents mentioned in **Annexure - A & B**, will be summarily rejected.

xviii. The SEEPZ-SEZ Authority reserves the right to reject any or all tenders at any time/stage without assigning any reasons whatsoever and the decision of the SEEPZ-SEZ Authority shall be final and binding on all the bidders.

xix. In case of the withdrawal of the bid, EMD will be forfeited.

2. OPENING OF TENDER:

i. The **Envelop-I** super scribed as **"Technical Bid"** will be opened at **04:00 p.m. on 28/02/2019** in the Office of the Development Commissioner, 2nd floor, SEEPZ-SEZ, Mumbai in the presence of bidders and or their representative(s) who may like to be present before the Tender Committee and other officers, so authorized.

ii. The date and time for opening the **Envelope-II** super scribed as **"Financial Bid"** will be intimated to the successful bidder at the time of opening of Envelope-I.

iii. All bids would be evaluated by Committee, on the basis of documents provided for technical eligibility. After scrutinizing the documents, the Committee shall select the eligible bidders for opening of "Financial Bid".

3. CRITERIA FOR PRE-QUALIFICATION ON THE BASIS OF THE TECHNICAL BID:

Envelope-I super scribed as **"Technical Bid"** submitted by the entities should contain the following documents to determine the technical eligibility for empanelment:-

i. Earnest Money Deposit (EMD) for Rs. 1.00 lakh (Rupees One lakh) in the form of Demand Draft/Pay Order drawn on any Nationalized or Scheduled bank in favour of "SEEPZ-SEZ Authority Fund" payable at Mumbai.
ii. Copies of PAN, GST Registration No. should be enclosed.
iii. Sample of cards as per the scope of work which will be provided for printing of Gate passes.
iv. Self declaration of acceptance of terms and conditions duly signed by the firm(s)/agency in token of having understood and agreed to the same should be enclosed along with the technical bid.
v. An affidavit duly notarized stating that ***"he/she has not been blacklisted nor come any adverse notice by any office of Govt./Semi-Govt./Public Sector Undertaking".***
vi. An undertaking stating that ***the bidder shall not assign, transfer, pledge or sub-contract the performance of services of part of services and shall further undertake to comply with the terms and conditions of the tender notice.***
vii. Bidder should not have any criminal background. In this regard, bidder have to submit an affidavit on Rs. 100/- stamp paper duly notarized.
viii. Proof in terms of copy of work order in respect of contract awarded by Central Govt./Central Govt. PSUs/Govt. of Maharashtra/Govt. of Maharashtra Autonomous body/Industrial Area located in Maharashtra/Banks/reputed Pvt. Firms.
ix. The bidder should have its principal place of business at Mumbai. In respect of this, documentary evidence such as Certificate of Incorporation/Certificate of Commencement of Business/Shop and Establishment License/Agreement/s acquiring the premises/Electricity Bill and Telephone Bill etc., any one should be enclosed with the tender.

4. **CRITERIA FOR FINANCIAL BID:**

Envelope-II super scribed **"Financial Bid"** should contain the bid value exclusive of IGST. **Please refer Annexure "B".**

(Raju Kumar)
Asstt. Development Commissioner
SEEPZ-SEZ

No. SEEPZ-SEZ/EMS/GC/05/2015-16/EDI-Vol-I/03060 **Dated : 07/02/2019**

SCOPE OF WORK

1. On the spot supply and printing of Gate passes on PVC cards with the following specification:-

Sr. No.	Item	Quantity	Size	Colour
1	Employees I-Cards	When need arise	Length 85 mm Width 54 mm Thickness 30 mil	White
2	Permanent gate passes on PVC cards	Approx. 2200 (front/back) per month (Approx. 88 per day)	Length 85 mm Width 54 mm Thickness 30 mil	White

2. The successful bidder will be required to keep adequate stock of adequate PVC cards and printers.

3. The successful bidder will be required to provide the printers with the following specifications:-

   i. Double sided card printer to be used for colour ID cards.

   ii. Compatible with Windows XP Operating System (Drivers for 32 bit windows XP required)

   iii. Average printout of 1000 cards per day.

4. The successful bidder will be required to provide the manpower to ensure uninterrupted printing of Gate passes on basis of data supplied by SEEPZ-SEZ Authority.

5. Normal timing for printing the gate passes will be **9:30 a.m. to 6:00 p.m.** however, the printing of gate passes shall be completed on the same day even after 6:00 p.m., if need arises.

ANNEXURE – A

(I) PRIMARY DETAILS :

1. Name of the Agency:
2. Office Address:
3. Telephone No.:
4. Mobile No.:
5. Fax No.:
6. E-mail address:

(II) PRE-QUALIFICATION DETAILS :

1. Copy of PAN and GST Registration **(Attach proof)**
2. The "financial Bid" is enclosed separate sealed envelope **(Yes/No)**
3. Copy/ies of Work Orders issued by Central Govt./Central Govt. PSUs/Govt. of Maharashtra/Govt. of Maharashtra Autonomous body/Industrial Area located in Maharashtra/Banks/Reputed Pvt. Firms. **(Attach proof)**
4. Self declaration of acceptance of terms and conditions duly singed by the firm(s)/agency in token of having understood and agreed to the same should be enclosed along with the technical bid.
5. An affidavit duly notarized stating that ***"he/she has not been blacklisted nor come any adverse notice by any office of Govt./Semi-Govt./Public Sector Undertaking"*****.** **(Affidavit attach)**
6. An undertaking stating that ***the bidder shall not assign, transfer, pledge or sub-contract the performance of services of part of services and shall further undertake to comply with the terms and conditions of the tender notice.*** **(Undertaking attach)**
7. Bidder should not have any criminal background. In this regard, bidder have to submit an affidavit on Rs. 100/- stamp paper duly notarized.
8. The firm should be of Mumbai / Greater Mumbai district. Attach copy of Certificate of Incorporation/Certificate of Commencement of Business/Shop and Establishment License/Agreement/s acquiring the premises/Electricity Bill and Telephone Bill etc., any one.
9. **Earnest Money Deposit** in the shape of bank draft of **Rs. 1,00,000/-** in favour of the **"SEEPZ Special Economic Zone Authority Fund"** payable at **Mumbai. (Attach Demand Draft)**
10. Name of the responsible authorized representative of the firm/agency.
11. The firm should submit a following declaration :

"I / We hereby declare that all the terms and conditions of tender document has / have been read by me / us and I / We accept all the terms and condition mentioned in the tender and shall comply with them strictly."

Name & Address of tenderer with seal and signature

Date : ____________

FINANCIAL BID FORMAT FOR SUPPLY OF PRINTED I-CARDS AND PRINTING OF GATE PASSES (PVC CARDS)

Sr. No.	Name of Items	Rate per Card **(exclusive of IGST)**
1	Govt. Employees I-Cards	
2	Entry Gate Pass	

The quoted fee should be inclusive of all Expenses.

We undertake that the rates quoted above by us will not change during the Contract period and accept the payment schedule as described in the appropriate column.

Name & Address of tenderer with seal and signature

Date : ___________

OTHER TERMS AND CONDITIONS

1. The successful bidder should conduct the police verification of their authorized employees before entry into the SEEPZ SEZ premises and the same should be made available to the office as and when required and demanded by the authorities.
2. The successful bidder shall provide the printers, manpower and printing cards and carry out their work as per the scope of work, failing which the same will be treated as breach of contract and in that case the Authority will have the right to cancel/terminate the contract, without assigning any reason and EMD amount will be forfeited. No representation will be entertained in this regard.
3. The successful bidder shall maintain the quality of printing cards and printing, during the period. The matter for printing shall be neat and clean and as per the proforma.
4. Printing of Gate passes shall be done in the place provided by the Authority. On each day the number of cards printed will be certified by the Gate Pass In-Charge.
5. The successful bidder and his personnel/workers/employees shall comply with all the rules and regulations and the guidelines provided by the Authority from time to time and further ensure to maintain the discipline during working hours.
6. The Authority shall not be responsible for payment of wages and/or any other emoluments to the personnel/workers/employees of the successful bidder so deployed. The successful bidder shall at all time keep the authority indemnified against any claim from its personnel/workers in this regard.
7. Any loss/damage sustained to the Authority due to any technical and or procedural lapses on the part of successful bidder or his personnel/workers/employees, the same shall be recovered by the Authority from the successful bidder.
8. In case of the disruption of work of supply and/or failure to supply Gate Passes for more than three hours will entitled for penalty of *Rs. 1000/-*.
9. **Successful bidder shall give acceptance within 3 days from the date of receipt of the work order failing which the work order issued will be treated as cancelled.**
10. **Billing:** The payment shall be made by the Authority after the supply of cards and printing work has been fully executed, as per the rate at which, the bid has been allowed.
11. The tender is not transferable. The successful bidder shall not engage to any sub-contractor or any other organization in any matte and also not permitted to transfer their rights and obligations under the tender notice.
12. EMD of the successful bidder will be retained with the SEEPZ-SEZ Authority as Security Deposit for due fulfillment of the work order and refunded on expiry of the same. This will be forfeited for non compliance of the terms and conditions of the tender document. The EMD of the other bidders will be refunded. This amount will not bear any interest.
13. If the services of the successful bidder are not found to be satisfactory, the Authority reserves the right to terminate or cancel the work order at any time during the currency of the contract period without assigning any reasons.
14. On termination or cancellation of Work Order, the successful bidder shall not be entitled for any sum or sums, whatsoever, from the Authority by way of compensation, damages or otherwise.
15. Every bidder must go through the terms and conditions carefully and understand them before submitting their tender. No excuse that the conditions have not been read/ understood will be entertained later.
16. The tender must be delivered in sealed envelope superscribed **"Tender for Supplying and Printing of I-Cards and Gate Passes (PVC Cards)"** addressed to **The Estate Manager, SEEPZ-Special Economic Zone, Andheri (E), Mumbai – 400 096.**
17. Tender can also be dropped in the Tender Box kept at Ground floor near Inward Section, SEEPZ-SEZ, Mumbai. The tender should reach this office or be dropped in the tender box on or before **28/02/2019 upto 2:30 P.M.**

18. Tender must be written in English/Hindi. All correspondence in connection with or arising from a bid shall be in English/ Hindi.
19. Single cover systems will be adopted. Signed copy of terms and condition , EMD and Annexure "A" filled in with relevant details along with all mandatory documents should be placed in an envelope, sealed and superscribed **"Tender for Supplying and Printing of I-Cards and Gate Passes (PVC Cards)"** on the top of the envelope. Unsealed envelops will not be accepted. Annexure – "B" i.e. Financial Bid should be in separate envelope and same is placed in an envelope.
20. In exceptional circumstances, the SEEPZ-SEZ Authority may solicit the Bidder's consent to an extension of the period of validity. The request and the responses thereto shall be made in writing.
21. Bidder shall furnish, as a part of its tender, **Earnest Money of Rs. 1,00,000/-.** The Earnest Money shall be in the form of Demand Draft/Pay Order drawn on any Nationalized or Scheduled Bank in favour of **"SEEPZ-SEZ Authority Fund"** payable at **Mumbai.**
22. Any tender not accompanied by EMD/Financial bid and required documents (*as per Annexure – "A" and Annexure – "B"*) will be rejected. Unsuccessful bidder's EMD will be discharged or returned as promptly as possible.
23. Tender will be opened in public on **28/02/2019 at 04:00 PM** in the Office of Development Commissioner, 2nd floor, SEEPZ-SEZ, Andheri (E), Mumbai – 400 096 in presence of bidder or their authorized representative/s.
24. The SEEPZ-SEZ Authority will award the contract to the successful bidder whose tender has been determined to be substantially responsive and finalized based on the suitability of the agency with reference to the prescribed criteria and competitiveness of the price quoted provided further that the bidder is determined to be qualified to perform the contract satisfactorily.

****